कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इटावा।

आदेश सं0– 50 दिनांक– अप्रैल 23 , 2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 7356/Main(P)/Admin (A-3) Allahabad दिनांकित 31.05.2019 के परिप्रेक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन व सिविल बार एसोसिएशन, इटावा द्वारा प्रस्तुत संयुक्त प्रस्ताव दिनांकित 22.04.2025 के आधार पर माह मई व जून 2025 में (दिनांक 01.05.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक) जजशिप इटावा के समस्त न्यायालयों (ग्राम न्यायालय सैंफई व चकरनगर सहित) के कार्य का समय प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक होगा। मध्यांतर अवकाश का समय प्रातः 10:30 बजे से 11:00 बजे तक होगा।

समस्त कार्यालयों (ग्राम न्यायालय सैंफई व चकरनगर सहित) में कार्य का समय प्रातः 6:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक होगा। न्यायिक अधिकारीगण अपने विश्राम कक्ष में प्रातः 6:30 पर आयेंगे व प्रातः 7:00 बजे न्यायालय में बैठेंगे।

इस आदेश की एक–एक प्रति जजशिप, इटावा के सभी न्यायालयों/कार्यालयों को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। केन्द्रीय नाजिर समयानुसार न्यायालय/कार्यालय खुलवाना व बन्द करवाना सुनिश्चित करें।

23/4/25

(चवन प्रकाश)
जनपद न्यायाधीश,
इटावा।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय इटावा।
2. पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इटावा।
3. जिलाधिकारी, इटावा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
5. अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा
6. जिला सूचना अधिकारी, इटावा को दैनिक समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला बार संघ, इटावा।
8. अध्यक्ष/महामंत्री, सिविल बार संघ, इटावा।
9. केन्द्रीय नाजिर, जजी इटावा को इस आदेश की प्रति सूचना पट पर चस्पा कराये जाने हेतु।
10. सिस्टम आफीसर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त न्यायालय एवं कार्यालय।

23/4/25

जनपद न्यायाधीश,
इटावा।